# कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,मण्डला म0प्र0

## :: आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025 ::

क्रमांक 29 / सां.लि. / एक–9–2 / 2009 मण्डला, दिनांक 27/12/24

मैं एस.के.जोशी सत्र न्यायाधीश, मण्डला पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 104 / सां.लि. / एक–9–2 / 2009 मण्डला, दिनांक 24 जनवरी, 2024 एवं उसके पश्चात् जारी संशोधन संबंधी विभिन्न आदेशों को अतिष्ठित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(7), धारा 214, 422(2) एवं 441 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सत्र खण्ड मण्डला में कार्यरत सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के मध्य सत्र प्रकरणों के विचारण हेतु निम्नानुसार आपराधिक कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूं, जो **दिनांक 01.01.2025 से प्रभावशील** होगा :–

**:: सत्र एवं विशेष न्यायालय ::**

| क्र0 | न्यायालय का नाम | क्षेत्राधिकार | क्र. | प्रकरणों के प्रकार जिनके निराकरण का क्षेत्राधिकार होगा |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | सत्र न्यायाधीश मण्डला | सम्पूर्ण सत्र खण्ड मण्डला | 1. | सत्र प्रकरण |
| | | | 2. | आपराधिक अपील (दोषसिद्धी / दोषमुक्ति) |
| | | | 3. | आपराधिक पुनरीक्षण (रिविजन) |
| | | | 4. | धारा 222(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द0प्र0स0 1973 की धारा 199(2) के समरूप) के अंतर्गत पेश परिवाद पत्र। |
| | | | 5. | अधिसूचित सभी विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराधों में प्रस्तुत होने वाले धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द0प्र0स0 1973 की धारा 438 एवं 439 के समरूप) के आवेदनपत्रों को छोड़कर शेष जमानत आवेदन पत्र। |
| | | | 6. | सम्पूर्ण सत्र खण्ड के अंतर्गत धारा 448 एवं 449 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द0प्र0स0 1973 की धारा 408 एवं 409 के समरूप) के अंतर्गत उद्भूत आवेदन पत्र। |
| | | | 7. | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। |
| | | | 8 | अन्य अधिनियमों के अंतर्गत सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है। |
| 2 | विशेष न्यायाधीश (प्राधिकृत अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) मण्डला | सत्र खण्ड मण्डला | 1. | सत्र खण्ड मण्डला के अंतर्गत सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के मामले एवं उनसे संबंधित आवेदन पत्र (पॉक्सो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर) |
| | | | 2 | सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र। |
| 3 | प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला | सत्र खण्ड मण्डला | 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत पेश प्रकरण। |
| | | | 2 | मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत उद्भुत समस्त प्रकरणों संबंधी कार्यवाही। **(तहसील मण्डला एवं बिछिया)** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र। |
| 4 | तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला | सत्र खण्ड मण्डला **(थाना टिकरिया, बीजाडांडी एवं निवास को छोड़कर)** | 1 | लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आने वाले विशेष प्रकरण **(मुख्यालय मण्डला एवं बिछिया)** |
| | | | 2 | माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का ज्ञापन कमांक डी/1869/तीन–6–5/10/तीन–6–6/84 जबलपुर दिनांक 18.6.2021 के पालन में पॉक्सो अधिनियम के साथ जिन प्रकरणों में एस.सी./एस.टी. की धाराएँ सम्मिलित है। **(मुख्यालय मण्डला एवं बिछिया)** |
| | | | 3 | चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा निराकृत पॉक्सो एक्ट 2012 से संबंधित प्रकरणों के रिमाण्ड होने या उनसे उत्पन्न अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां। |
| | | | 4 | सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र। |
| 5 | चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला एवं श्रृंखला न्यायालय नैनपुर | उप सत्र खण्ड नैनपुर | 1 | 1.थाना नैनपुर, 2.जी.आर.पी. थाना नैनपुर 3.थाना खटिया की पुलिस चौकी टाटरी के 27 गांव,जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, 4.थाना बम्हनी की पुलिस चौकी पांडिवारा (तुरूर) के 16 गांव,जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण। |
| | | | 2 | माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का ज्ञापन कमांक डी/1869/तीन–6–5/10/तीन–6–6/84जबलपुर दिनांक 18.6.2021 के परिपालन में 1.थाना नैनपुर, 2.जी.आर.पी. थाना नैनपुर 3.थाना खटिया की पुलिस चौकी टाटरी के 27 गांव,जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, 4. थाना बम्हनी की पुलिस चौकी पांडिवारा (तुरूर) के 16 गांव,जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आने वाले ऐंसे प्रकरण, जिनमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के साथ–साथ एस.सी./एस.टी. एक्ट की धाराएँ भी सम्मिलित हैं। |
| | | | 3 | विशेष न्यायालय – म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 (न्यायालय नैनपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित थाना नैनपुर, जी.आर.पी. थाना नैनपुर, थाना खटिया की पुलिस चौकी टाटरी के 27 गॉव थाना बम्हनी की पुलिस चौकी पांडीवारा (तुरूर) के 16 गॉव जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, से उद्भूत मामले) |
| | | | 4 | सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र। |
| 6 | पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मण्डला | सत्र खण्ड मण्डला | 1 | मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम 2003 के प्रकरण एवं आवेदन पत्र। |
| | | | 2 | सनसनीखेज व जघन्य अपराध के रूप में चिन्हित सत्र प्रकरण। |
| | | | 3 | स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 36क के अनुसार 3 वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय अपराध के सभी प्रकरण एवं उनसे संबंधित आवेदन पत्र। |
| | | | 4 | नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 (NIA Act 2008) से संबंधित प्रकरण/आवेदनपत्र |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र। |
| 7 | अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवास | उप सत्र खण्ड निवास | 1 | **थाना टिकरिया, बीजाडांडी एवं निवास** से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आने वाले विशेष प्रकरण। |
| | | | 2 | माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ज्ञापन क्रमांक डी/1869/तीन–6–5/10/तीन–6–6/84जबलपुर दिनांक 18.6.2021 के परिपालन में **थाना टिकरिया, बीजाडांडी एवं निवास** से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आने वाले ऐंसे प्रकरण, जिनमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के साथ–साथ एस.सी./एस.टी. एक्ट की धाराएँ भी सम्मिलित हैं |
| | | | 3 | दाण्डिक अपील, दाण्डिक रिवीजन, विविध कार्यवाही एवं जमानत आवेदन पत्र। |
| | | | 4 | विशेष न्यायालय – म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 (न्यायालय निवास के क्षेत्राधिकार में स्थित **थाना टिकरिया, बीजाडांडी एवं निवास** से उद्भूत मामले। |
| | | | 5 | सत्र न्यायाधीश मण्डला द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं आवेदन पत्र। |

**<u>टीप</u> :–**

1. सभी अधिसूचित विशेष न्यायालयों के रिमाण्ड, जमानत आवेदन, अभियोग पत्र तथा विशेष प्रकरण से उद्भूत आवेदन सीधे संबंधित विशेष न्यायालय में पेश किये जायेंगे।

2– सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने या उनका पद रिक्त होने की दशा में प्रथम जमानत आवेदन विशेष सत्र न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) द्वारा सुना जायेगा। यदि प्रथम आवेदन अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुना गया है, तो पश्चातवर्ती जमानत आवेदन भी उसी न्यायालय को स्वतः अंतरित माना जायेगा।

3– कुटुम्ब न्यायालय मण्डला के प्रधान न्यायाधीश के अवकाशकाल एवं अनुपस्थिति की दशा में उनके क्षेत्राधिकार का सामान्य एवं आवश्यक प्रकृति का कार्य प्रथम जिला न्यायाधीश मंडला की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)मण्डला द्वारा सम्पादित किया जायेगा ।

4– सत्र न्यायाधीश एवं सभी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशगण के अवकाश पर होने अथवा उन सभी के पद रिक्त होने की आपवादिक दशा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(8) के अनुसार सत्र प्रकरणों में प्रस्तुत होने वाले त्वरित निराकरण योग्य आवेदन अथवा जमानत आवेदन का निराकरण करने का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडला को रहेगा।

5– श्रृंखला न्यायालय नैनपुर में पदस्थ न्यायाधीश अपनी श्रृंखला न्यायालय से संबंधित क्षेत्र के आपराधिक मामलों में प्रस्तुत किये जाने वाले जमानत आवेदन पत्र तथा दाण्डिक अपीलों में सजा स्थगन की कार्यवाही की सुनवाई तथा अन्य कोई आवश्यक कार्य श्रृंखला न्यायालय के कार्य दिवस के बाद भी मुख्यालय मण्डला में कर सकेगें।

6– चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला के श्रृंखला न्यायालय नैनपुर में रहने की अवधि के दौरान उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश मंडला द्वारा तथा इनके अवकाश/अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला द्वारा संपादित किया जाएगा। उक्त दोनों प्रभारी की अनुपस्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला द्वारा संपादित किया जावेगा ।

7– जिला मुख्यालय मंडला पर द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मंडला की रिक्त न्यायालय तथा अन्य कोई अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय रिक्त होने के फलस्वरूप उन न्यायालयों द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों के रिमांड होने अथवा उनसे उत्पन्न अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों की सुनवाई प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला द्वारा की जायेगी तथा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडला का पद रिक्त होने की दशा में उक्त प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय में कार्यरत अन्य वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की जायेगी ।

**(एस.के.जोशी)**
**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**मंडला (म.प्र.)**

पृष्ठांकन क्र. 607/एक–9–2/2009 मण्डला, दिनांक 27/12/24

प्रतिलिपि –

1. प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मंडला,
2. विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति 'अत्याचार निवारण' अधिनियम) मंडला,
3. कलेक्टर, जिला मण्डला
4. पुलिस अधिक्षक, जिला मण्डला
5. प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश मण्डला
6. चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय नैनपुर
7. जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश निवास
8. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला
9. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड मण्डला
10. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवास
11. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड मण्डला
12. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवास
13. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नैनपुर/भुआ–बिछिया
14. जिला लोक अभियोजन अधिकारी/सहा0 लोक अभियोजन अधिकारी मण्डला/नैनपुर/निवास/बिछिया
15. लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजन मण्डला
16. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ मंडला/निवास/नैनपुर/भुआबिछिया
17. प्रस्तुतकार/निज सहायक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडला
18. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 जिला न्यायालय मण्डला
19. पंजीयन लिपिक/तलवाना लिपिक मंडला/निवास/नैनपुर/बिछिया

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**मंडला (म.प्र.)**